



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-807-अ0प्र0-07/पाकालि/20-25-अ0प्र0-07/19

दिनांक 20/04/2020

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत निम्नांकित अवर अभियन्ताओं (वैद्युत एवं यांत्रिक) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 8.33% प्रोन्नति कोटा के अन्तर्गत अस्थायी एवं स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (वैद्युत एवं यांत्रिक) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ एतद्वारा प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि- 01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे।

इस आदेश द्वारा प्रोन्नत किये जा रहे अभियन्ताओं की सहायक अभियन्ताओं के पद पर पारस्परिक एकल वरिष्ठता सूची चयन वर्ष 2019-20 में सहायक अभियन्ता (वै0 एवं यां0) की सीधी भर्ती की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध चयन हेतु विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-04/विसेआ/2019/ए0ई0 द्वारा अद्यतन प्रक्रियाधीन कार्यवाही के फलस्वरूप चयनित किये गये सहायक अभियन्ताओं के साथ 'Amalgamate' करते हुए घोषित की जायेगी :-

क्र0 सं0	अवर अभियन्ता का नाम/पिता का नाम ट्रेड/जन्मतिथि/ गृह जनपद/वर्तमान तैनाती स्थान/वर्ग/वरि0क्र0 सर्वश्री	अवर अभियन्ता के पद पर वर्तमान तैनाती स्थान	सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नति पश्चात तैनाती हेतु आवंटित डिस्कॉम/इकाई	आवंटित अभिज्ञान सं0
1	2	3	4	5
वैद्युत एवं यांत्रिक संवर्ग - 8.33% प्रोन्नति कोटा				
1	पंकज कुमार उपाध्याय/वीरेन्द्र नारायण उपाध्याय वि0/10.10.82/वाराणसी/सामान्य/10176	वि0परी0खं0, बिजनौर	पश्चिमांचल	2019212
2	संजय सिंह यादव/मेवा सिंह यादव वि0/15.01.79/गाजीपुर/अ0पि0व0/10178	वि0वि0खं0-तृतीय, मुजफरनगर	पश्चिमांचल	2019213
3	संजोय कुमार/राम प्रसाद वि0/01.01.82/मऊ/अ0पि0व0/10180	वि0पारे0खं0-द्वितीय, गोरखपुर	पारेषण	2019214
4	अजय कुमार चौरसिया/विश्वनाथ चौरसिया वि0/12.08.87/बलिया/अ0पि0व0/10183	वि0वि0खं0-द्वितीय, रामपुर	पश्चिमांचल	2019215
5	मनीष कुमार सिंह/होरिल राम सिंह वि0/03.01.83/कौशाम्बी/अ0पि0व0/10191	वि0न0वि0खं0-द्वितीय, प्रयागराज	पूर्वांचल	2019216
6	राधा कृष्ण राम/सालिक राम वि0/02.08.84/बलिया/अनु0 जन जाति/10213	वि0परी0खं0, अमरोहा	पश्चिमांचल	2019217
7	प्रियंका गुप्ता/विजय कुमार गुप्ता वि0/15.07.87/चन्दौली/अ0पि0व0/08/CEH/16	वि0प0एवं परि0खं0, वाराणसी	पारेषण	2019218
8	अमित कुमार/बी0पी0 सिंह सी0ई0 एण्ड आई0टी0/14.10.81/मुरादाबाद/ अ0पि0व0/08/CEH/18	प्रवर्तन दल, मेरठ	पश्चिमांचल	2019219
9	संजय यादव/कन्हैया लाल यादव वि0/02.09.80/इलाहाबाद/अ0पि0व0/08/CEH/19	वि0न0वि0खं0-तृतीय, वाराणसी	पूर्वांचल	2019220

2. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक/मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ताओं के नियंत्रक अधिकारी उन्हें वर्तमान कार्यभार से कार्यमुक्त करने से पूर्व निम्नांकित बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें :-

(क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।

(ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही/अभियोजन का प्रकरण लम्बित न चल रहा हो।

- (ग) अवर अभियन्ता के विरुद्ध यदि कोई विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो उसकी नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
- (घ) यदि वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम, अंकित कार्यालय/निगम से भिन्न है, उस दशा में का0ज्ञाप0 में अंकित कार्यालय/निगम के स्थान पर वास्तविक वर्तमान तैनाती का कार्यालय/निगम प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य के लिए मान्य होगा।
3. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत समस्त अभियन्ता, इस आदेश के निर्गत होने से **दो माह के भीतर** अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रोन्नत कार्मिक को वर्तमान कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा अवमुक्त कर दिया जाए।
4. सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे उपरोक्त अभियन्ताओं की तैनाती उ0प्र0पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति एवं जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे।
5. सहायक अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत अवर अभियन्ता के नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि सम्बन्धित प्रोन्नत अवर अभियन्ता कार्यमुक्ति की तिथि को, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा निर्गत आदेश सं0-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन प्रस्तुत कर चुका हो।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या :-807 -अ0प्र0-07/पाकालि/2020/तददिनांक (20.04.2020)

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
 6. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/मेरठ।
 7. अपर पुलिस महानिदेशक(सतर्कता), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 8. मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण-प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
 9. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 पा0का0लि0, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करें।
 10. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को पत्रांक-888-अनु0-01/सहा0अभि0(पदो)/19-20, दिनांक 04.10.2019 द्वारा प्रेषित छान समिति की आख्या के सन्दर्भ में।
 11. मुख्य अभियन्ता (कम्प्यूटराइजेशन इकाई), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 12. अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
 13. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 14. उप सचिव (अ0प्र0-03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
 15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), उ0प्र0पा0का0लि0 शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 16. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
 17. अनुभाग अधिकारी (अ0प्र0-03/04), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को वैयक्तिक पत्रावली हेतु।
 18. संबंधित अधिकारीगण।
 19. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,



(इन्द्रमणि)

संयुक्त सचिव (02)

57